

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :-प17(11)शिक्षा-1/2015

जयपुर, दिनांक 8/8/16

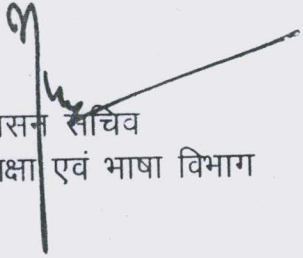
01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
02. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
04. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
05. प्रधानाचार्य, समस्त राउमावि/राबाउमावि/रामावि
06. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।

विषय:—ऑगनबाडी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समन्वित राउमावि/मावि द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उमावि स्थापित किये गये हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से उनके आसपास स्थित ऑगनबाडी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संलग्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग


शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित विद्यालय (जहां कक्षा 1 से 5 संचालित हैं) के पर्यवेक्षण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभावी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी दिशा निर्देश

राज्य सरकार बच्चों एवं महिलाओं के समेकित एवं समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार) एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयु वर्ग का मानक 3 से 6 वर्ष है। (अनुलग्नक-1 एन.सी.एफ 2005) राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर **प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE)** कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उमावि स्थापित किये गये हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से उनके आसपास स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों की क्रियान्विति से निम्नलिखित लाभ होंगे :-

- i) समन्वित विद्यालयों के संस्थाप्रधानों/शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण से लगभग 13000 आंगनबाड़ी केंद्रों के **प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE)** कार्यक्रम के तहत प्रभावी रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ii) आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में आसानी से नामांकन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- iii) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होने से प्राथमिक कक्षाओं के सुदृढीकरण के स्तर में वृद्धि होगी।
- iv) इन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में (जहां कक्षा 1 से 5 संचालित हैं) एवं उनसे संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू होंगे।

(D)

1

1. भवन सम्बन्धी (Infrastructure)

- 1.1 ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें पूर्व में ही विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उसे यथावत संचालित करते हुए, पूर्ण रूप से विद्यालय की संचालन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय आईसीडीएस द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप होगा।
- 1.2 जिन विद्यालय परिसरों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है उन विद्यालयों में यथा सम्भव निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रथम चरण में केवल वे ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित किए जायेंगे, जिनका कवरेज क्षेत्र विद्यालय भवन से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर हैं एवं भवन विहीन है।
- 1.3 उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पृथक् कक्ष उपलब्ध नहीं है, परंतु एक कक्ष निर्माण का स्थान है तो सांसद क्षेत्रीय विकास कोष, विधायक विकास कोष, भामाशाह एवं दानदाताओं के सहयोग से कक्ष का निर्माण बाल मित्र कक्ष की तर्ज पर किया जा सकता है।
- 1.4 विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष / पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र को उसी स्थान पर संचालित रखते हुए विद्यालय की संचालन प्रक्रिया से समन्वित किया जायेगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय आईसीडीएस द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप होगा।
- 1.5 यदि विद्यालयों के समन्वयन की प्रक्रिया में ऐसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय जो निकटतम माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजित कर दिए गए हैं, में यदि आंगनबाड़ी केंद्र उसी परिसर में ही संचालित था तो वह आंगनबाड़ी केंद्र स्वाभाविक रूप से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थानान्तरित किया जायेगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र का कवरेज क्षेत्र 500 मीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए।
- 1.6 विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी कक्ष के आस-पास ही बच्चों के खेलने के लिए स्थान का निर्धारण किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधानाचार्य की होगी। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए खेलने का स्थान तथा विद्यालय की अन्य कक्षाओं के बच्चों के खेलने के लिए स्थान यथा सम्भव पृथक्-पृथक् होगा।
- 1.7 कक्षा 1 व 2 के बच्चे भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खेलने के निर्धारित स्थान पर खेल सकते हैं परंतु ऐसी स्थिति में कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने वाले किसी एक शिक्षक/शिक्षिका को बच्चों के साथ उस स्थान पर रहना आवश्यक होगा।

3. एन टी टी शिक्षकों के संबंध में (NTT Teachers)

- 3.1 राजस्थान के कतिपय क्षेत्रों में एन टी टी शिक्षक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त किए गए हैं। उक्त शिक्षकों पर पूर्ण नियंत्रण आईसीडीएस का होगा।
- 3.2 यदि विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी में एन टी टी शिक्षक कार्यरत है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में पूरे समय एन टी टी शिक्षक ही आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करेंगे। नर्सरी शिक्षक (एनटीटी) की उपस्थिति का प्रमाणन प्रधानाध्यापक से भी कराया जायेगा। तदनुसार CDPO द्वारा वेतन का आहरण किया जावेगा। शेष नियंत्रण विभागीय अधिकारियों का रहेगा।

4. विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं संबलन (Supervision & Support)

- 4.1 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की एक समन्वित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- 4.2 आंगनबाड़ी का समय पूर्व निर्धारित समयानुसार ही रहेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का उपस्थिति रजिस्टर प्रधानाचार्य कक्ष में रखा जाएगा। प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने से पूर्व उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति को रजिस्टर में प्रमाणित करेंगे।
- 4.3 विद्यालय में प्रारम्भिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले (प्राथमिकता से महिला शिक्षक) आंगनबाड़ी केन्द्र में अकादमिक मेंटर की भूमिका निभाएंगे। प्राचार्य किसी एक महिला शिक्षक को प्रभारी अधिकारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा नियुक्त करेंगे एवं नियुक्ति आदेश की प्रति संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.4 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित महिला पर्यवेक्षक एवं प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कक्षा 7 की बालिकाओं के सहयोग से बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का संचालन करेंगे।
- 4.5 विद्यालय के समस्त शिक्षकों की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समीक्षा बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है।



- 4.6 समेकित बाल विकास सेवाएँ के तहत प्रति माह प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल दिवस (ई सी सी ई डे) मनाया जाना जाता है। (अनुलग्नक-2 ई.सी.सी.ई. दिवस आदेश)
- 4.7 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों में ई सी सी ई दिवस की कार्ययोजना प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा बनाई जाएगी। ई.सी.सी.ई दिवस के आयोजन में कक्षा 7 की बालिकाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- 4.8 ई सी सी ई दिवस की कार्ययोजना विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की समन्वित बैठक में साझा की जाएगी एवं समिति से अपेक्षा की जाएगी, कि ई सी सी ई दिवस पर अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ने में मदद करे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ई सी सी ई दिवस पर आने के लिए सूचित एवं प्रेरित करें। ई सी सी ई दिवस का आयोजन करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता समेकित बाल विकास सेवाएँ के प्रावधान के अनुसार की जायेगी।
- 4.9 आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता के परीवीक्षण का कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनबाड़ी की समयसारिणी के अनुसार बच्चों को समय पर एवं तय मापदण्डानुसार भोजन उपलब्ध हो।
- 4.10 प्रत्येक माह प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की प्रगति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक तीन माह में एक बार प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी केंद्र की समग्र कार्ययोजना बनाएंगे एवं समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें बैठक का संक्षिप्त कार्यविवरण लिखा जाएगा तथा सभी उपस्थित संभागी हस्ताक्षर करेंगे।
- 4.11 समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र के पर्यवेक्षण के पश्चात् महिला पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूप में दर्ज करके हस्ताक्षर प्रति ही अपने विभाग में संबंधित सी डी पी ओ कार्यालय के साथ-साथ प्रधानाचार्य को भी प्रस्तुत करेंगी।
- 4.12 सी डी पी ओ प्रति माह महिला पर्यवेक्षक द्वारा दी गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ियों के पर्यवेक्षण की समेकित रिपोर्ट उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- 4.13 राज्य सरकार द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा परिसर में स्थित अथवा संबद्ध आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य तय प्रारूप में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की समीक्षा रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.14 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रति माह तय प्रारूप के अंतर्गत विद्यालयों से आंगनबाड़ी के संचालन की प्रस्तुत रिपोर्ट्स को समेकित कर प्रत्येक तीन माह में उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
- 4.15 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक तीन माह में एक बार आदर्श विद्यालयों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- 4.16 ब्लॉक स्तर पर एस डी एम की अध्यक्षता में सी डी पी ओ एवं संबंधित संस्थाप्रधान की उपस्थिति में प्रति तीन माह में एक बार कार्य की समीक्षा की जाएगी।
- 4.17 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्यालय से संबंधित पूर्व में ही गठित निष्पादक समिति में छह माह में एक बार उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्य की समीक्षा की जाएगी। इस समिति के ऐजेण्डा में ई सी ई की समीक्षा को शामिल किया जाएगा। एक समन्वित प्रतिवेदन निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
- 4.18 निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रत्येक छह माह में एक समेकित रिपोर्ट सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 4.19 राज्य स्तर पर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की सदस्यता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक छह माह में एक बार बैठक कर समन्वित कार्यक्रम की समीक्षा कर संबंधित विभाग में मंत्रीमहोदय/महोदया को नीतिगत निर्णयों हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. अभिलेख संधारण (Record Keeping)

- 5.1 सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का समस्त डाटा शाला दर्पण के तहत एकत्रित किया जा रहा है। विद्यालय में समायोजित/स्थानान्तरित आंगनबाड़ी केन्द्र का डाटा समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित राजपोषण पोर्टल एवं आरआरएस-एमआईएस से शाला दर्पण में संबंधित विद्यालय के डाटा के साथ साझा किया जाएगा।

(9)

6. विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएँ के तहत प्रदान की जा रही अन्य सेवाएँ (Other ICDS Services)

- 6.1 समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य पांच सेवाएँ भी संचालित की जाती हैं। (अनुलग्नक-3 आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित सेवाओं सम्बन्धी निर्देश)
- 6.2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त संचालित अन्य सेवाएँ यथावत संचालित की जाएगी।
- 6.3 समेकित बाल विकास सेवाएँ की अन्य सेवाओं पर प्रधानाचार्य का एक दिवसीय वार्षिक आमुखीकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में किया जाएगा।
- 6.4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त आदर्श विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ी पर संचालित अन्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं नियमितता के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका सहयोगी के रूप में होगी।
- 6.5 विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में अन्य सेवाओं पर अध्यक्ष की अनुमति से ही चर्चा की जा सकेगी।
- 6.6 अन्य सेवाओं से संबद्ध समस्त रिकॉर्ड संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- 6.7 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श स्कूल में स्थानान्तरित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदत्त की जा रही सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े।
- 6.8 यह भी ध्यान रखा जाये कि सम्बन्धित आईसीडीएस सेवाएँ जो उस आंगनबाड़ी के द्वारा दी जा रही हैं, उस कवरेज एरिया का लाभान्वित वर्ग लाभ से वंचित न रहे तथा एस.सी./एस.टी./पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक इत्यादि के कवरेज का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 6.9 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श स्कूल में स्थानान्तरित करते समय भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश की पालना भी सुनिश्चित की जाये।

21

✓

Relevant part of NCF 2005

5. Domains of Development

Every child is a unique individual and has skills and abilities that can be further enhanced and developed. A good early childhood care and education programme respects the different pace of development of all children and ensures that the child develops physically, socially, emotionally, morally and intellectually to their full potential. Thus, the main aim of providing quality care and education during the early years is to enable the child to develop as a holistic individual and realise his/her potential to the fullest in all the areas of development. Development of the child is classified under six main areas of development. The curriculum must address the following interrelated domains of holistic development through an integrated and play based approach which focuses on development of life skills.

5.1 Birth- Three Years

Sensory and Perceptual Development:

- Development of the five senses through visual, auditory, olfactory and kinaesthetic experiences
- Learning to control and coordinate their reflexes
- Coordination of sensory perceptions and simple motor behaviours
- Display awareness of location and spatial relationship

Physical, Health and Motor Development:

- Developing coordination and control of large motor muscles
- Developing strength and coordination of small motor muscles
- Integrating the movements of many parts of their body
- Developing a sense of balance in movement
- Adequate nutrition and sound health status
- Begin to display personal hygiene skills
- Recognise the importance of safety rules

Language Development:

- Begin to develop active listening skills
- Use expressive and receptive communication skills
- Develop vocabulary and use language to engage in conversations.
- Develop verbal and non-verbal communication skills
- Display emergent literacy skills (preparing children to read and write): such as identify and differentiate sounds, phonological awareness; print awareness and concepts; recognition of letters; letter- sound correspondence; building words and sentences.
- Display the use of prewriting skills (scribbling, marking, drawing, etc) for variety of purposes

Cognitive Development:

- Development of object permanence (know that objects have substance, maintain their identities when they change location, and continue to exist when out of sight)
- Development of perceptual categorization based on how things look, feel, and taste
- Development of memory for objects, people and events
- Begin to develop vocabulary and skill related (comparing, classification, seriation; space, quantity, length, counting etc)
- Develop skills related to observing, reasoning and problem solving
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalization

Development of Creative and Aesthetic Appreciation:

- Begin to represent objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement

Personal, Social and Emotional Development:

- Display awareness of their abilities, preferences and characteristics
- Development of self concept; self control, self help skills.
- Develop initiative and curiosity; independence and autonomy
- Display awareness of behaviour and its effects
- Display increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Emergence of pretend play and use of objects as representation
- Develop friendship with peers, show cooperation and participate in group activities
- Development of attachment, and emotional bonding with adults
- Develop empathy, learn to control feelings and express emotions in relevant manner

5.2 Three- Six Years

Sensory and Perceptual Development:

- Demonstrate the use of different senses (sight, hear, feel, taste, smell) to guide movements and recognize objects
- Awareness of space and direction, distance, quantity etc.

Physical Health and Motor Development:

- Developing coordination and control of large motor muscles
- Developing strength and coordination of small motor muscles
- Demonstrate the use of body with proper sense of space and direction
- Coordination of fine muscles with dexterity; eye hand coordination
- Developing sense of balance, physical co-ordination
- Recognize different food and demonstrate healthy dietary habits
- **Display healthy habits, personal care and hygiene.** Display ability to follow safety rules, make choices and avoid danger

Language Development:

- Develop Listening and Comprehension skills
- Use expressive and receptive communication skills
- Develop effective verbal and non-verbal communication skills
- Develop vocabulary and use language for a variety of purposes.
- **Display emergent literacy skills** and love for reading (preparing children to read and write): such as identify and differentiate sounds, phonological awareness; print awareness and concepts; recognition of letters; letter- sound correspondence; segmentation, building words and sentences and early writing.
- **Demonstrate interest and ability in writing**
- Develop competency in home language while acquiring beginning proficiency in language of school transaction and/ or English, if needed.

Cognitive Development:

- **Development of various concepts including pre number and number concepts and operations** (knowledge and skills related to comparing, classification, seriation; understanding of and vocabulary related to space, quantity, length and volume, one to one correspondence; counting etc),
- Predicting patterns and making estimations in measurement; data handling;
- Develop skills related to sequential thinking, critical thinking, observing, reasoning and problem solving;
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalizations.
- Differentiate between events that happen in past, present and the future
- Develop knowledge of relationship between people, places and regions

Development of Creative and Aesthetic Appreciation:

- **Representing objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms;**
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement
- **Demonstrate creativity** and inventiveness with materials

Personal, Social and Emotional Development:

- **Development of self concept; self control; life skills/ self help skills;**
- **Develop initiative and curiosity in new experiences and learning**
- Developing a sense of independence and autonomy
- Display awareness of abilities and preferences, appreciates similarities and differences in people and awareness of behaviour and its actions
- Displays relevant and appropriate habit formation increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Develop interpersonal skills with respect to peers, family, teachers and community
- **Display behaviours of cooperation;** compassion; social relationships; group interaction; pro- social behaviour; expressing feelings, accepting others feelings
- **Develop the ability to adapt and control emotions;**



राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F 26(4)/ECCE/ICDS/2012/ 148376-395

जयपुर दिनांक : 3-12-13

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
अजमेर, अलवर, बारां, बाड़मेर, बीकानेर,
चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, झुंझपुर,
जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा,
राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सिरोंही, टोंक एवं उदयपुर

विषय:- मासिक ईसीसीई दिवस मनाये जाने के दिशा-निर्देशों के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मासिक ईसीसीई दिवस मनाया जाना है, जो कि बच्चों की परिचर्या एवं शिक्षा हेतु जागरूकता लाने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अन्तर्गत गांवों में दूरिष्ट नागरिकों, स्थानीय दस्तकारों, बच्चों के परिवार के वरिष्ठजन इत्यादि की सहभागिता से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर उक्त दिवस को मनाया जाना है और बच्चों की परिचर्या एवं शाला पूर्व शिक्षा हेतु जानकारी का प्रसारण समुदाय में करना है। इस प्रकार ईसीसीई दिवस द्वारा समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ बच्चों के विकास, वृद्धि एवं अर्जन की प्रवृत्ति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

नियमित रूप से आयोजित की जाने वाले मासिक ईसीसीई दिवस के फलस्वरूप निम्न परिणामों की अपेक्षा की जाती है:-

- समुदाय में ईसीसीई के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिकाओं सहित सभी बच्चों का नामांकन होना।
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की खेल-कूद गतिविधियों हेतु स्थानीय सामग्री एवं सरस्ती सामग्री की उपलब्धता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- ईसीसीई को बच्चों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में अभिभावकों की भूमिका पर ज्यादा जोर देना।
- अभिभावकों को बच्चों के मूल्यांकन के पश्चात् बच्चों की प्रगति के बारे में सूचित करना।
- किरायाती तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से शाला पूर्व शिक्षण सामग्री तैयार करने में स्थानीय कारीगर आदि की भूमिका के बारे में समुदाय को जागरूक करना।

ईसीसीई दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह के किसी एक गुरुवार अथवा सोमवार को आयोजित किया जाना है (जिस दिन मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस नहीं मनाया जाता हो)। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपनी परियोजना की समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए विस्तृत कलैण्डर जारी किया जायेगा।

ईसीसीई दिवस आयोजन के लिए बच्चों के खेलने हेतु स्थानीय सामग्री से तैयार खिलौने/शिक्षण सामग्री, शाला पूर्व शिक्षा किट, बच्चों से संबंधित अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना है। ईसीसीई दिवस में निम्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है :-

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी सहायिका
- आशा-सहयोगिनी
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी)(आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत होने की स्थिति में।)
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य।
- सामुदायिक संगठनों के सदस्य।
- ईसीसीई क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
- प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक
- वृद्धजन तथा दादा-दादी/नाना-नानी
- स्थानीय कारीगर एवं कलाकार
- समुदाय के प्रतिनिधि
- महिला मंडल के सदस्य
- यूथ क्लब एवं नेहरू युवा केन्द्र कार्यालय के सदस्य
- सबला एवं किशोरी शक्ति योजना की सखी/सहेली

उपनिदेशक, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा संबंधित महिला पर्यवेक्षक केन्द्र का अवलोकन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सम्बल प्रदान करेंगे।

ईसीसीई दिवस आयोजन से पूर्व निम्न प्रकार से तैयारी सुनिश्चित की जानी है :-

- **जिला स्तर पर कार्यशाला:-** जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन संबंधित जिला उपनिदेशक की अध्यक्षता में किया जाये, जिसमें जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी भाग ले और उन्हें ईसीसीई दिवस के आयोजन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में बतायें।
- **परियोजना/ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला :-** परियोजना/ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जावे, जिसमें परियोजना की समस्त महिला पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया जावे इस बैठक में निम्नलिखित बातों के विषय में समझाया जाए :-
 - समुदाय से जुड़ाव एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
 - आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।
 - स्थानीय कलाकर/कारीगर तथा दृश्य-श्रव्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सहयोग/ भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
 - दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफएम, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
- **माईक्रोप्लान को अद्यतन करना:-** माईक्रोप्लान को अद्यतन किया जाए, जिसमें परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को सम्मिलित किया जाए। माईक्रोप्लान प्रपत्र 1 व प्रपत्र 1-A में बनावें। यह कार्य 30.11.2013 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए।

मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन के एक दिन पूर्व की जाने वाली व्यवस्थाओं की चैक लिस्ट निम्न प्रकार से होगी :-

- अगर आंगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना व प्रचार-प्रसार।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- पूरक पोषाहार की व्यवस्था।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
- ममता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करना ताकि आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारु पारगमन हो सके।
- परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैक्टिस का अनुसरण करना।

मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा के मुख्य बिन्दु के अन्तर्गत समुदाय एवं अभिभावकों के क्षमतावर्धन हेतु आमुखीकरण सत्र एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि शिशु की पूर्व शिक्षा अवस्था की मुख्य परिचर्या करने वाले यही लोग हैं। नियत मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा हेतु निम्न में से किसी भी विषय का चुनाव किया जा सकता है :-

- पूर्व बाल्यवस्था देखभाल का महत्व
- अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा एवं ईसीसीई का महत्व
- शिशु के शुरुआती सालों में वृद्धि एवं विकास का महत्व, विकास के बाधक, तथा शारीरिक विकार के चिन्ह
- शुरुआती प्रेरण (stimulation)
- घर पर देखभाल
- खेलकूद का महत्व
- अच्छी आदतों का निर्माण
- ईसीसीई में समुदाय एवं अभिभावकों की भूमिका।
- बच्चों को शाला पूर्व तैयारी

- माताओं तथा युवतियों की भागीदारी से आंगनबाड़ी केन्द्र के विभिन्न कार्यों को करने हेतु एक तंत्र का निर्माण करना। (जैसे- खाना बनाना एवं वितरित करना, बाहरी खेल-कूद की गतिविधियों का आयोजन करना आदि)
- मातृ समितियाँ तथा अभिभावकों की समितियों के माध्यम से बच्चों को गायन, भावगीत, कहानियाँ आदि की तैयारी करवाना।
- अन्य मुद्दे जो कि समुदाय की आवश्यकतानुसार चिन्हित किये जा सकें।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों की भूमिका निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जानी है:-

- यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक संगठनों के सदस्यों ईसीसीई दिवस के सत्रों हेतु उपलब्ध हो।
- स्कूल अध्यापक तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्वच्छ पीने का जल, उचित साफ-सफाई तथा अन्य चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि ईसीसीई दिवस का सुचारु रूप से आयोजन हो सकें।

ईसीसीई दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्यतया: 3 प्रकार की सावधिक गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

- मासिक
- द्विमासिक
- अर्द्धवार्षिक

उक्त गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नप्रकार से है:-

1. **मासिक :-** इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्न 9 गतिविधियों निर्धारित की गई हैं:-

- बच्चों द्वारा दैनिक गतिविधियों के दौरान किए गए कार्यों का प्रदर्शन (जैसे- कला एवं क्राफ्ट का कार्य, मॉडल, वर्कशीट आदि)
- बच्चों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय के समक्ष गतिविधियों का प्रदर्शन एवं उन गतिविधियों के आयोजन का औचित्य बताना।
- अभिभावक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में पारस्परिक विचार-विमर्श एवं बच्चों के कार्यों का आदान-प्रदान तथा उसकी प्रतिपुष्टि (फीडबैक)
- ईसीसीई से संबंधित दृश्य-श्रव्य सामग्री, चार्ट आदि का प्रदर्शन
- ईसीसीई दिवस हेतु तैयार की गई सूची जिसमें अभिभावकों से चर्चा हेतु मुद्दे निर्धारित किए गए हो, उनमें से किसी एक पर चर्चा का आयोजन करना।
- बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को प्रोत्साहन राशि, पुरस्कार आदि प्रदान करने हेतु समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक कौना निर्धारित करना जहां पर अभिभावक/समुदाय खेलौने, किताबें, कटपूतली और अन्य खोलने एवं सीखने की सामग्री दान कर सकें तथा उसका टॉय बैंक/ गतिविधि बैंक / बुक बैंक के रूप में उपयोग करना।

2. द्विमासिक :- यह गतिविधियाँ प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित की जानी है। जो निम्नप्रकार से है:-

- आंगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नृत्य, नाटक, कविता पठन, रोल प्ले, आदि का आयोजन।
- गृह आधारित ईसीसीई सेवाएं लेने वाले बच्चों के लिए अभिभावकों एवं बच्चों की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन।
- अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी से खेल एवं शिक्षण सामग्री का विकास।
- स्थानीय दस्तकारों की सहायता से खेल सामग्री का विकास।

3. अर्द्धवार्षिक :- यह गतिविधियाँ प्रत्येक 6 माह में एक बार आयोजित की जानी है। जो निम्नप्रकार से है:-

- आंगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खेल दिवस का आयोजन।
- सभी बच्चों एवं अभिभावक/समुदाय की रोचक गतिविधियों जैसे- बाल मेला, दिवाली, स्थानीय त्यौहार, प्रदर्शनी, मेले आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों की दीवारों पर वाल अभिरुचि चित्रांकन करवाना।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन व्यवस्था के अन्तर्गत :-

- ईसीसीई दिवस की महत्ता को मध्यनजर रखते हुए इसके आयोजन से संबंधित समीक्षा, राज्य, जिला, परियोजना एवं सेक्टर पर आयोजित होने वाली आईसीडीएस समीक्षा बैठक के साथ किया जाना है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर विजिट करने वाले समस्त अधिकारियों/पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन करें एवं आंकलन पश्चात् उस पर सक्षम स्तर पर टिप्पणी प्रस्तुत करें।

मासिक ईसीसीई दिवस की रिपोर्टिंग के अन्तर्गत कार्यकर्ता निर्धारित प्रपत्र-3 में ईसीसीई दिवस संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि केन्द्र पर एनटीटी पूर्व प्राथमिक शिक्षक का पदस्थापन है तो उक्त रिपोर्ट पूर्व प्राथमिक शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है तथा प्रत्येक माह की रिपोर्ट का संधारण एक रिकार्ड फाइल के रूप में किया जाना है।

ईसीसीई दिवस हेतु मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत :-

- सेक्टर बैठक पर होने वाली मासिक बैठकों में आंगनबाड़ी केन्द्रवार चर्चा की जाएगी तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जाएगा ताकि अगले ईसीसीई दिवस पर यह कठिनाईयां नहीं आए।
- मासिक बैठक में कार्यकर्ता ईसीसीई दिवस की सूचना भी निर्धारित प्रपत्र में लेकर आएगी, उसको संकलन किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजी जाए।
- ब्लॉक स्तर पर होने वाली मासिक बैठक में ईसीसीई दिवस की रिपोर्ट के आधार पर जो कठिनाई आई हो, उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सूचना को संकलित कर एक प्रति उपनिदेशक को भेजी जाए।
- जिला स्तर पर होने वाली बैठक में अवलोकन रिपोर्ट का अवलोकन कर कठिनाईयों को दूर किया जाए। तथा सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर एक प्रति निदेशालय को भेजी जाए।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में विभिन्न कार्मिकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भूमिका :-

- अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान बनाने में महिला पर्यवेक्षक की सहायता करेंगी।
- अगर आंगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना प्रदान करना।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- बच्चों का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कर उसका प्रदर्शन करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षक के साथ सामंजस्य रखना।
- रोल मॉडल (आंगनबाड़ी केन्द्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- ममता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
- आयोजन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।

- नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करना ताकि आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारु पारगमन हो सके।
- परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैक्टिस का अनुसरण करना।
- रिकार्ड का संधारण करना।

2. पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी)की भूमिका :- यदि किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) का पदस्थापन है, तो निम्न कार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर किए जाने हैं:-

- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना प्रदान करना।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कर उसका प्रदर्शन करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
- रोल मॉडल (आंगनबाड़ी केन्द्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- ममता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
- आयोजन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सकें।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करना ताकि आंगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारु पारगमन हो सके।
- परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैक्टिस का अनुसरण करना।
- रिपोर्ट तैयार करना तथा रिकार्ड का संधारण करना।

3. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में महिला पर्यवेक्षकों की भूमिका :-

- अपने केन्द्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के माइक्रोप्लान तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करना।
- अपने क्षेत्र के समस्त ईसीसीई दिवस पर प्रत्येक माह उपस्थित होना तथा परियोजना कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्थानीय कलाकर/ कारीगर तथा दृश्य-श्रव्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



4. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका :-

- यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बजट की राशि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर उचित समय पर उपलब्ध हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्थानीय कलाकर/कारीगर तथा दृश्य-श्रव्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में उपनिदेशक की भूमिका :-

- जिले के समस्त माइक्रोप्लान बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उनको आयोजन स्थल/ आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- माह में कम से कम एक दिवस भ्रमण कर क्षेत्र के कम से कम तीन ईसीसीई दिवसों का अवलोकन करेंगे।
- पंचायत समिति स्तरीय बैठकों में उपस्थित रहेंगे तथा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- जिले में ईसीसीई दिवस अपेक्षानुसार आयोजित हो उसका समस्त उत्तरदायित्व जिला उपनिदेशक का होगा।

अतः उपरोक्त नियमित मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन संबंधी गाइडलाइन के अनुसार आप इस संबंध में अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा-सहयोगिनियों को उपरोक्त गतिविधियों के बारे में निर्देशित करें तथा इस सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली गतिविधियाँ समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.पी.स्वामी)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

जयपुर दिनांक 03.12.2013

क्रमांक : F 26(4) ECCE/ICDS 2012

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से पूर्व करना सुनिश्चित करावें।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से पूर्व करना सुनिश्चित करावें।
3. एसीपी कम उपनिदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

(महेश शर्मा)

सहायक निदेशक (आईईसी)

समेकित बाल विकास सेवाएँ,

राजस्थान जयपुर

ईसीसीई दिवस हेतु माइक्रोप्लानिंग प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम

सेक्टर का नाम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

महिला पर्यवेक्षक का नाम.....

ईसीसीई दिवस (दिनांक)	आ.बा. केन्द्र का नाम	आयोजन स्थल	सत्र स्थल वाले गांव व उसके अन्तर्गत आने वाली ढाणीयों के नाम	आई.एल.आर. बिन्दु से दूरी (कि.मी.)	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	नजदीकी प्राथमिक विद्यालय का नाम तथा उसमें ईसीसीई दिवस में शामिल होने वाले अध्यापकों के नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या		उपलब्धता					ईसीसीई दिवस में भागीदार संस्था / व्यक्तियों का विवरण
							0-3 वर्ष	3-6 वर्ष	पूरक पोषाहार	पीएसई किट	किलोल पुस्तक प्रथम व द्वितीय	ममता कार्ड	शाला पूर्व शिक्षण सामग्री हेतु स्थानीय उपलब्ध सामग्री से तैयार वस्तुओं का विवरण	



ईसीसीई दिवस हेतु माइक्रोप्लानिंग प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम

सेक्टर का नाम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

महिला पर्यवेक्षक का नाम.....

क्र.सं.	आ.बा.केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों का नाम	कुल जनसंख्या	कुल शिशु जनसंख्या			ईसीसीई दिवस पर चर्चा का विषय	मासिक गतिविधियों का विवरण	द्विमासिक गतिविधियों का विवरण	अर्द्धवार्षिक गतिविधियों का विवरण	आयोजन में भागीदार का विवरण							
			वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	प्रत्येक ईसीसीई के लाभार्थियों संख्या					स्थानीय कारीगर / कलाकार	पंचायती संस्थाओं सदस्य	राज के	समुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	वृद्धजन	ईसीसीई क्षेत्र में कार्य एनजीओं के प्रतिनिधि	सबला योजनान्तर्ग त सखी एवं सहेली	
			A	B	C												
			वास्तविक गणना पर आधारित	वास्तविक गणना पर आधारित	कॉलम A/12					लाभार्थियों की वास्तविक संख्या							

इसीसीई दिवस हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

माह का नाम.....

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम

सेक्टर का नाम

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

एएनएम का नाम.....

आशा-सहयोगिनी का नाम.....

सीडीपीओ/पर्यवेक्षक का नाम.....

कुल बच्चों की संख्या		माह में होने वाली गतिविधि का नाम	इसीसीई दिवस पर आने वाले बच्चों की संख्या		इसीसीई दिवस पर पीने के पानी व अन्य व्यवस्था की उपलब्धता	इसीसीई दिवस पर आने वाले बच्चों की संख्या
0-3 वर्ष	3-6 वर्ष		0-3 वर्ष	3-6 वर्ष		

12

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (I.C.D.S.)

राष्ट्रीय बाल नीति-1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्रथम बाल विकास परियोजना बाँसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक यह शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना रही। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार का प्रशासनिक व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा। वर्ष 2009-10 से इस योजना के प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत राशि तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्नलिखितानुसार है:-

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
3. बाल मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।

इस कार्यक्रम के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं :-

क्र. सं.	सेवा	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह - 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती-धात्री महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
2.	शाला पूर्व शिक्षा	3-6 वर्ष के बच्चे
3.	पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15-45 वर्ष की महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
4.	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	0-6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएँ
5.	स्वास्थ्य जाँच	0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती -धात्री महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएँ	0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएँ

उपरोक्त 6 में से 3 (क्रम संख्या 4 से 6 तक) सेवाएँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।